Regarding rate of compensation of farmers of Murthal village in Haryana acquired by NHAI- Laid

श्री सतपाल ब्रह्मचारी **(सोनीपत) :** सन् 2019 में NHAI भारत सरकार द्वारा NH 352 A के लिए मुरथल गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया उसमें किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई । किसानों को सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह का समाधान नहीं हुआ । यह सारी भूमि 165 फिट चौडा PWD Road के साथ मिलाप है जिसका 2019 में चौड़ीकरण कर 330 फिट चौड़ा किया गया और NH352A बनाया गया । यह सारी भूमि नगर निगम सोनीपत के दायरे में आती है व रकबा मुरथल गांव का है । जमीन का कलेक्टर रेट Rural का उठाया गया व अधिग्रहण फैक्टर urban का (दोगुना) लगा मुआवाजा दिया गया जब कि कलैक्टर रेट Urban का तय किया जाना चाहिए था । NH44 के साथ लगते 2 एकड़ तक का मुआवजा राशी रुपये 3,90,00000/- (तीन करोड नब्बे लाख रुपये) दिया गया, व तीसरे किले से आगे का 1,28,00000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दी गई जबकि यहाँ मार्किट वेल्यू पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ थी । 4. 7 किलोमीटर के दायरे की सड़क में 8 तरह की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई ।